

ॐ आभार ॐ

भारत में शासन सदा से ही समाज के कल्याण के लिये कल्याणकारी योजनाओं की समय-समय पर घोषणा करता रहा है। इसी तारतम्य में केन्द्र व राज्य शासन द्वारा शिक्षा के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ लागू की गईं। न्यास का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को एक ही पुस्तक में विभिन्न योजनाओं, एज्युकेशन लोन, कैरियर मार्गदर्शन आदि की जानकारी सरल भाषा में पठनीय सामग्री सहित संकलित कर प्राप्त हो सके। वे अपनी शिक्षा के विकास के लिये योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

न्यास ने भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन/अन्य द्वारा लोक कल्याणार्थ जनहित में जरूरतमंदों, निर्धनों, विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालिकाओं, किसानों, निःशक्तजन आदि के लाभार्थ बनाई गई योजनाओं की जानकारी शासन द्वारा प्रकाशित प्रचार-प्रसार सामग्री, वेबसाइट्स एवं विभिन्न स्रोतों से संकलित कर एक वेबसाइट www.searchschemes.com विकसित की है। इस वेबसाइट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला आदि विषयक विभिन्न योजनाओं की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका लाभ जरूरतमंदों तक निरन्तर पहुँच रहा है। इस वेबसाइट को बनाने में **श्री अजय जैन एवं श्री मयूर सेठी** का विशेष योगदान है, जिसके लिये न्यास उनका आभारी है।

न्यास ने शिक्षा संबंधित योजनाओं का संकलन कर सन्दर्भ पुस्तक “मेरा हक” प्रकाशित की है। हमारा पूर्ण प्रयास रहा है कि पुस्तक में

प्रकाशित सामग्री त्रुटिरहित एवं परिपूर्ण हो तथापि किसी योजना के संबंध में भ्रान्ति या आशंका होने पर शासन द्वारा प्रकाशित सामग्री देखें या संबंधित विभाग से सम्पर्क करें। पुस्तक में शासन व अन्य प्रमुख वेबसाइट्स की जानकारी भी परिशिष्ट के माध्यम से दी जा रही है।

पुस्तक के प्रकाशन में गोयल चेरिटीज एसोसिएशन, इन्दौर, डॉ. भरत छपरवाल, श्री धीरेन्द्र दवे, श्री दीपक खरे, डॉ जयंतिलाल भंडारी, प्रो. असद खान, श्री केवलकृष्ण जुनेजा एवं अन्य विद्वानों द्वारा समय समय पर अमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया गया। श्री अभिमन्यु शुक्ला, डॉ. चारुशीला मौर्य का सराहनीय सहयोग तथा प्रमुख योगदान रहा है, न्यास इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये समस्त सहयोगियों का आभार व्यक्त करता है।

न्यासी,

किरण सेवा न्यास, इन्दौर



ॐ अपनी बात ॐ

पिछले डेढ़ दशक से पिछड़ी व तंग बस्तियों में कार्य करते हुये महसूस हुआ कि दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, शिक्षा को आम विद्यार्थी की पहुँच से दूर कर रही है। शासन की योजनाओं व घोषित छात्रवृत्तियों की जानकारी समाज में जरूरतमंद विद्यार्थी तक नहीं पहुँच पा रही है या यूँ कहें कि विद्यार्थी इन योजनाओं का लाभ आवश्यक प्रपत्र, व योजना के स्वरूप की जानकारी के अभाव में नहीं ले पा रहा है।

केन्द्र व राज्य शासन, विद्यार्थी को सुगमतापूर्वक पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक, यहाँ तक कि विदेश में, शिक्षा ग्रहण के लिये छात्रवृत्ति प्रदाय कर रहा है। जब विद्यार्थी को अपने लिये प्रदाय छात्रवृत्ति, सुविधायें, बैंक ऋण प्राप्ति की शर्तों, कैरियर मार्गदर्शन आदि का ज्ञान होगा तो वह समय पर पूर्व तैयारी में मुख्य प्रपत्र आय प्रमाण, जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण, स्थान्तरण प्रमाणपत्र संकलित कर लाभ अवश्य लेगा। ये छात्रवृत्ति सुविधाएँ विद्यार्थी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। इसे ही ध्यान में रखते हुये जनहित में त्वरित सन्दर्भ हेतु “मेरा हक” पुस्तक को प्रकाशित किया जा रहा है। पुस्तक में संकलित सामग्री विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रकाशित प्रचार-प्रसार सामग्री, वेबसाइट्स एवं म.प्र. शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित आगे आएँ-लाभ उठाएँ पुस्तक से ली गयी है। आशा है कि जनहित में प्रकाशित पुस्तक सभी के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

डॉ. चारुशीला मोर्य



अनुक्रमणिका १०

आलेख

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	छात्रों में तनाव एवं अवसाद - दीपक खरे	8
2.	शिक्षा और करियर - डॉ. जयन्तीलाल भंडारी	13

शासकीय योजनाओं की जानकारी

अ. सामान्य निर्धन वर्ग

क्र.	योजना नाम / विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	15
2.	स्वामी विवेकांनंद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	16
3.	स्वामी विवेकांनंद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	17
4.	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना	18
5.	डॉ. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना	19
6.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना	20
7.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रामादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना	21
8.	वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकल वितरण योजना	22
9.	प्रतिभा किरण योजना	23
10.	गाँव की बेटी शिक्षा योजना	24
11.	पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	25
12.	एकीकृत छात्रवृत्ति योजना	26

अन्य योजनाएं:-

क्र.	योजना नाम / विवरण	पृष्ठ संख्या
13.	मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	29
14.	समर्पण करने वाले दस्यु के बच्चों एवं परिवारों को शिष्यवृत्ति	30
15.	संस्कृत छात्रवृत्ति योजना	31

16.	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	32
17.	निःशुल्क गणवेश व मध्याह्न भोजन योजना	33
18.	निर्माण कामगार के हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति	34
19.	निर्माण कामगार के हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री को पुरस्कार	35
20.	सुपर 50 योजना	36
21.	भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति	37

ब. अनुसूचित जाति/ जनजाति

क्र.	योजना का नाम विवरण	पृष्ठ संख्या
22.	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रावास आश्रम शालाएँ अ. प्रीमैट्रिक छात्रावास ब. आश्रम शालाएँ स. पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	38
23.	छात्रगृह योजना।	39
24.	उत्कृष्ट छात्रावास योजना	40
25.	आवासीय विद्यालय	41
26.	विभागीय छात्रावास में रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	42
27.	राज्य प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति	43
28.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	44
29.	अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	45
30.	विशेष पिछड़ी जनजातियों के बालको को छात्रवृत्ति	46
31.	जनश्री बीमा योजना	47
32.	प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर	48

33.	विद्यार्थी कल्याण	49
34.	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	50
35.	बालिकाओं को निशुल्क सायकल प्रदाय योजना	51
36.	प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना	52
37.	विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना	53
38.	सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि	55
39.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र	56
40.	विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता	57
41.	विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी का प्रदाय	58
42.	विद्यार्थियों को पी. एच.डी. के लिए शोध छात्रवृत्ति	59
43.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक/युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	60
44.	ग्रामीण इंजीनियर, रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	61

स.पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

क्र.	योजना का नाम /विवरण	पृष्ठ संख्या
45.	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	62
46.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	63
47.	प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना कक्षा 5वीं से 8वीं	64
48.	छात्र गृह योजना	65
49.	विद्यार्थी कल्याण	66
50.	व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग	67
51.	बालक-बालिका हेतु छात्रावास योजना	68
52.	संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन	69

53.	दिल्ली छात्र गृह योजना	70
54.	मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना	71
55.	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक)	72
56.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक)	73
57.	उच्च शिक्षा के लिये विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना	74

द. गैर शासकीय योजनायें मुस्लिम समुदाय के लिये

क्र.	योजना का नाम /विवरण	पृष्ठ संख्या
58.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	76
59.	टेलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम	77
60.	मुस्लिम एज्युकेशन ट्रस्ट (मेट) स्कॉलरशिप आइ.डी.बी.जद्दा स्कॉलरशिप प्रोग्राम	78
61.	हयूमन वेलफेयर फाउन्डेशन	79
62.	हमदर्द एज्युकेशन सोसायटी	81
63.	मुस्लिम एजुकेशन एण्ड कैरियर प्रमोशन सोसायटी (MECAPS)	82

अन्य जानकारियाँ

क्र.	योजना का नाम /विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सुत्री कार्यक्रम	84
2.	शिक्षा हेतु बैंक ऋण के नियम व जानकारी	84
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम शैक्षिक ऋण योजना	87
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मुख्य बिन्दु	88
5.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के मुख्य बिन्दु	90
6.	म.प्र.सरकार व अन्य जन उपयोगी प्रमुख वेबसाइट्स	94
7.	कैरियर चार्ट	98

ॐ छात्रों में तनाव एवं अवसाद ॐ

- दीपक खरे

कुछ दिनों पूर्व, कक्षा से घर पर लौटने पर मैंने एक युवक को मेरा इंतजार करते पाया। युवक बड़ा प्रसन्न एवं सहज लग रहा था। मेरे प्रवेश करते ही उसने मुझे प्रणाम किया और पूछा “सर पहचाना?” एक मिनट के असमंजस के बाद मेरी स्मृति में एकाएक कुछ वर्ष पूर्व का उसका रूप एवं नाम उभर आया। “अरे! विशाल तुम! कैसे हो?” मैंने पूछा। “सर प्री-पीजी की अखिल भारतीय परीक्षा में प्रथम बीस में आया हूँ, अतः आपका आर्शीवाद लेने आया था।” - उसने कहा।

मेरे स्मृति पटल पर 7-8 साल पहले का वह पूरा वाक्या उभर आया। मेरी Pre-medical entrance की कक्षा में प्रवेश लेने आया था- विशाल जैन (परिवर्तित नाम)। बहुत बुद्धिमान, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आने वाला प्रतिभाशाली छात्र था वह। उसके पिता बड़े प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं। मेरी कक्षा में अन्य स्कूलों के एवं इन्दौर के बाहर से आने वाले कई छात्र थे। हमारे यहां साप्ताहिक टेस्ट लेने की परम्परा है। लगातार 3-4 साप्ताहिक टेस्ट्स में विशाल कभी 6वाँ, तो कभी 7वाँ स्थान प्राप्त कर पाया था। जब मैंने अगले रविवार टेस्ट पेपर विपरीत किए, तो सभी छात्र पेपर हल करने में जुट गए। अचानक मेरा ध्यान विशाल की ओर गया, वह स्तब्ध बैठा था, उसकी आँखें मानों शून्य की ओर देख रही थी। मैंने पूछा “बेटा तुम्हारी तबियत खराब है क्या?” वह कुछ समय रुक कर बोला, “मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मानो मेरा दिमाग एकाएक Off हो गया है।” मैंने उसे कहा कि, “शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है एवं इस कारण तुम थक गये हो। अतः आज की टेस्ट से मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, घर जाकर आराम करो।”

उसके जाने के बाद मैंने उसके पिता को फोन लगाया और उन्हें बताया कि वे उसे डांट ना लगाए एवं दिनभर विश्राम करने दें। मैंने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें यह शिकायत थी कि उन्होंने इतनी विपरीत स्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी कर आज यह ऊँचाई हांसिल की है, जबकि विशाल को तमाम प्रकार की सुख-सुविधा उपलब्ध होने पर भी वह टेस्ट में

अच्छ performance नहीं दे पा रहा है। मैंने उन्हें बताया कि, मेरा अनुमान है कि बच्चा अवसाद (depression) की कगार पर है। अतः उसे संवाद एवं सहानुभूति की आवश्यकता है। मैंने उन्हें यह भी सुझाया कि उसका किसी psychologist/psychiatrist से Counseling या उपाचार करा लेना चाहिये। चिकित्सक होते हुए भी उन्हें इससे स्वीकार करने में अड़चन महसूस हो रही थी। खैर, विशाल कुछ दिनों तक कक्षा से अनुपस्थित रहा। उसके पिता से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि वह काफी अवसाद में चला गया है लेकिन मैं इसकी चर्चा कहीं न करूँ। मैंने उनसे कहा कि अभी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका उपचार करना है। मैंने उन्हें मुंबई के अपने एक Psychiatrist मित्र का फोन नंबर दिया और उससे संपर्क करने का आग्रह किया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उपचार के दौरान उसकी पढ़ाई में आने वाली सारी दिक्कतें मैं दूर करूँगा। खैर विशाल का उपचार और मेरे साथ पढ़ाई चलती रही एवं उस वर्ष वह Medical Entrance में कामयाब रहा। इतने लंबे अंतराल के बाद आज मैं उसको पुनः देख रहा था।

गत 45 वर्षों के मेरे शिक्षकीय career में मैंने हमेशा महसूस किया है, कि सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी एवं विशेषतः Medical entrance, Engineering entrance, Chartered accountancy, State P.S.C. एवं U.P.S.C. की तैयारी करने वाले विद्यार्थी काफी तनावग्रस्त रहते हैं। गत 10 वर्षों में बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण, इनमें से कई छात्रों को मैंने अवसाद का शिकार होते देखा है, जो एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए अत्यधिक चिंता का विषय है।

मध्यमवर्गीय भारतीय समाज में शैक्षणिक उपलब्धियों पर काफी जोर दिया जाता है एवं माता-पिता एवं परिवेश की छात्र से अपेक्षाएं काफी अधिक होती हैं, जो छात्र में तनाव उत्पन्न करने का मूल कारण होता है। शैक्षणिक स्पर्धा में असफलता, परिवार एवं परिवेश में, व्यक्ति की योग्यता पर एक दाग के रूप में देखी जाती है। इस कारण यह तनाव और बढ़ जाता है। अतः परीक्षा एवं उसके परिणाम के प्रति छात्र में एक स्थायी चिंता

का भाव (Permanent anxiety) उत्पन्न होता है। अगर इस चिंता के भाव (anxiety) से छात्र मुक्त न हो पाया तो यह शारीरिक एवं मानसिक कुप्रभाव उत्पन्न करना शुरू करता है - जैसे बढ़ी हुई हृदय गति, बढ़ा हुआ रक्त चाप एवं मांसपेशीय तनाव इत्यादि। ये बातें धीरे-धीरे शरीर व मन दोनों को प्रभावित करती हैं। छात्र शारीरिक एवं मानसिक थकान (fatigue) महसूस करने लगता है, एवं अंततः अवसाद का शिकार हो जाता है। एक अध्ययन में देखा गया है कि, प्रवेश परिक्षाएँ देने वाले लगभग 74.9% छात्र, तैयारी के दौरान तनाव महसूस करते हैं एवं इनमें से 27.4% छात्रों के अनुसार यह तनाव उनके academic performance को प्रभावित करता है। परीक्षा एवं उसकी तैयारी के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव से मुक्ति के कुछ उपाय मैं सुझा रहा हूँ -

1. पढ़ाई के दौरान नियमित अंतराल से Break लें, थोड़े-थोड़े अंतराल से छोटे break लेने से आपका Performance बेहतर होगा। अगर आप लगातार दीर्घ समय तक पढ़ेंगे तो आपकी ग्रहण शक्ति में लगातार क्षरण होगा।
2. नियमित हल्का व्यायाम करें - शारीरिक परिश्रम से मांसपेशियों में उत्पन्न तनाव कम होता है, एवं रक्ताभिसरण होने से आपकी बौद्धिक कार्यक्षमता भी बढ़ती है। व्यायाम के बाद 5 मिनट प्राणायाम एवं 2 मिनट शवासन अत्यधिक उपयोगी साबित हुए हैं। व्यायाम 15-20 मिनट और outdoor हो ताकि आपके शरीर को सूर्य प्रकाश भी मिले।
3. पोषक आहार लें - आपके आहार में सब्जियाँ एवं फल भरपूर होना चाहिए। दूध एवं थोड़ी मात्रा में अंकुरित दलहन रोजाना लें। मांसाहार करने वाले लोग अण्डा या अन्य मांसाहार कर सकते हैं लेकिन उसमें चिकनाई कम से कम हो। Eat breakfast like a King, lunch like a 'well-to-do' person and dinner like a beggar.

4. पर्याप्त नींद लें - युवावस्था में 6-6:30 घंटे की निरन्तर निद्रा आवश्यक है। इसे टुकड़ों में न लें। दोपहर में 20-30 मिनट की अल्प निद्रा Power nap काफी चैतन्यकारी होती है।
5. उचित तैयारी करें - सफलता के लिए जल्दी सचेत होना आवश्यक है। 4 से 6 घंटे प्रतिदिन की पढ़ाई, अगर सालभर नियमित रूप से की जाए, तो किसी भी तरह की परीक्षा में सफलता के लिए पर्याप्त रहती है।
6. समय का व्यवस्थापन : अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि विश्राम, छोटे-छोटे breaks एवं मनोरंजन के लिए भी समय रहे। अपने Target व्यवहारिक दृष्टिकोण से set करें। लेकिन जो भी schedule आप बनाएं उसका दृढ़ता से पालन करें। अपने समय व्यवस्थापन में Selective रहें। आप पढ़ाई, मनोरंजन, पार्टी, फिल्म, मित्रों की company, होटलिंग, सभी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हर बार अपने आप से यह प्रश्न पूछिए “क्या होगा अगर मैं यह न करूं?” अगर इसका उत्तर “कुछ नहीं” हो तो उसे मत कीजिए। Go for Quality not quantity.
7. अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का सही आकलन करके ही अपना लक्ष्य तय कीजिए।
8. सामाजिक एवं भावनात्मक आधार तंत्र का उपयोग करें - याद रखें आपका परिवार एवं मित्र एक बड़ा support system है। अगर आप अपनी समस्याओं की चर्चा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं who cares for you तो जीवन के तनाव कम करने में यह अत्यधिक सहायक होगा। A problem shared is a problem halved. यह भी होता है कि संबंधित व्यक्ति आपको समस्या को देखने की नई दृष्टि प्रदान करे।
9. Relax करना सीखें - तनाव की स्थिति में शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है जो मांसपेशियों में तनाव लाता है और इस कारण हम सिर, गर्दन, पीठ इत्यादि में दर्द महसूस करते हैं। इसलिए नियमित

व्यायाम शुरू करने के पूर्व 5 मिनट Muscle relaxation exercises में खर्च करें।

Relax करने के लिए आप किसी रुचि (Hobby) को विकसित कर सकते हैं जैसे - पढ़ना, कोई खेल खेलना, सप्ताहांत पर tracking करना इत्यादि।

10. प्रति सप्ताह 1 से 2 घंटों का समय खाली रखें। हर सप्ताहांत, इस समय में विचार करें कि गत सप्ताह में क्या किया, क्या रह गया, आगे क्या करना है एवं क्या करने की आवश्यकता है।
11. अगर आप एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहे हो, अगर आप बढ़ती हुई उत्कंठा महसूस कर रहे हों, अगर आपके moods हर्ष और विषाद के बीच लगातार swing कर रहे हों, अगर आपका चिढ़चिढ़ापन बढ़ रहा हो, अगर आप निरंतर थकान महसूस करते हों या आपकी पढ़ाई आपको इतनी भारी लग रही हो कि आप हांफने लग जाओ तो समझो कि आप अवसाद के निकट हो। ऐसी स्थिति में तुरंत counselling व उपचार कराएँ।
12. अंत में याद रखें, कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती है। शैक्षणिक सफलता एवं जीवन में सफलता का कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा जीवन की ओर देखने की नई दृष्टि देती है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः शैक्षणिक स्पर्धा में असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। जीतने के लिए आगे और लड़ाइयाँ हैं। जैसा कि फैज अहमद फैज ने कहा है -

“और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा,
राहतेँ और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा।।



ॐ शिक्षा और करियर २०

एक समय था जब विद्यार्थियों को सरलता से शिक्षा, डिग्री और करियर की कोई भी दिशा प्राप्त हो जाती थी। करियर के उस दौर में विद्यार्थी अपने करियर को लेकर अधिक परेशान नहीं रहते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अच्छी पढ़ाई और अच्छे करियर के लिए प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस नए दौर में विद्यार्थियों को यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि आज औद्योगिक व सूचना क्रांति के युग में अच्छी शिक्षा और अच्छे करियर संबंधी कई विकल्प उनके सामने खुल गए हैं, जिनमें से वे अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र चुनकर आगे बढ़ेंगे तो आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम अच्छी शिक्षण संस्था और करियर का सही चुनाव बुनियादी जरूरत के रूप में दिखाई देता है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी शिक्षण संस्था व अच्छे करियर का सही चुनाव कर लेता है तो समझो उसने अपनी सफलता का आधा रास्ता पार कर लिया है।

यह बात ध्यान रखने की है कि वर्तमान में ग्रेज्युएशन और पोस्ट ग्रेज्युएशन की डिग्रियाँ सीधे रोजगार की दृष्टि से बहुत कम उपयोगिता रखती हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स और मार्केट में सेलेबल कोर्स की करियर की ऊँचाई दे पाते हैं। लेकिन ऐसे उपयोगी कोर्स की जानकारी और उन कोर्स को करने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने पर छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण संबंधी मार्गदर्शन आवश्यक हो गया है। विडम्बना यह है कि देश में शिक्षा के नए परिदृश्य और करियर की दिशाओं की अनभिज्ञता और वित्तीय

संसाधनों की कमी के कारण अनेक छात्र- छात्राएं योग्यता और प्रतिभा के बावजूद सर्वोत्तम कैरियर विकल्प से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में नए पाठ्यक्रमों के ढेर और नए शैक्षणिक संस्थानों की बाहुल्यता के बीच उनमें श्रेष्ठ चयन की दृष्टि से पालक और विद्यार्थी असमंजसकी स्थिति में होते हैं। यदि विद्यार्थियों को यह ज्ञात है कि कौनसे कोर्स कैरियर की ऊँचाई देने वाले हैं? कौनसी शिक्षण संस्थाएँ वास्तव में श्रेष्ठ है। प्रगति के लिए कौनसी योग्यता और विशेषज्ञता जरूरी है? तो निश्चित रूप से उनका परिश्रम और समय का व्यय सार्थक हो सकता है।

आशा की जा सकती है कि पुस्तक में दी गई ऐसी विभिन्न जानकारियाँ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी संदर्भ का कार्य करेगी। यह भी आशा की जा सकती है कि प्रस्तुत पुस्तक में संजोई गई विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण संबंधी जानकारियाँ जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाते हुए उनके कैरियर निर्माण में उपयोगी होगी।

डॉ. जयन्तीलाल भंडारी



शासकीय योजनाओं की जानकारी

अ. सामान्य निर्धन वर्ग

1. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना:-

योजना	- सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना ।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग ।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना । - आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 6टी से 8वीं का नियमित विद्यार्थी । - म.प्र. का मूल निवासी । - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 54000/- से अधिक न हो ।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्र को छात्रवृत्ति रु. 200/- वार्षिक । - छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 300/- वार्षिक ।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र । - विद्यार्थी की अंक सूची, । - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र ।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य । यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेंगे ।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी । - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल ।

2. स्वामी विवेकानंद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति:-

योजना	- स्वामी विवेकानंद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं का नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्र को छात्रवृत्ति रु. 300/- वार्षिक। - छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 400/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

3. स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना।

योजना	- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। - 11वीं 12वीं का नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 500/- वार्षिक। - छात्र को छात्रवृत्ति रु. 450/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फार्वर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

4. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना।

योजना	- सुदामा शिष्यावृत्ति योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 11वीं, 12वीं का नियमित छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु 5,4000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्र को छात्रवृत्ति रु. 500/- मासिक 10 माह तक - छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 550/- मासिक 10 माह तक
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

5. डॉ. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना:-

योजना	- डॉ. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- जिले के शासकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर कक्षा उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी (प्रत्येक संकाय वार)। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- विद्यार्थी को रु. 5,000/- की प्रोत्साहन राशि।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

6. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना:-

योजना	- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं, 12वीं का नियमित छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता, अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- विद्यार्थी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना	- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निः शुल्क शिक्षा योजना।
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- शासकीय महाविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, आयुष, कृषि, वेदनरी, उद्यानकी एवं वानिकी, पोलिटेकनिक एवं ई.टी.ई. में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 42,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय,मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- महाविद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन ऑनलाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।

8. वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकल वितरण योजना

योजना	- वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकल वितरण योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 6टी में प्रवेश लेने वाली नियमित छात्रा। - ग्राम में हाईस्कूल उपलब्ध न हो। - म.प्र. की मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रा को 2,400/- रु. का चेक सायकल क्य करने के लिए सिर्फ एक बार।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। - विद्यार्थी का गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
आवेदन कहाँ करें	- महाविद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

9. प्रतिभा किरण

योजना	- प्रतिभा किरण।
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु सहायता।
पात्रता	- ऐसी मेधावी छात्राएँ जिन्होंने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। - उत्तीर्ण होने पर उसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- परम्परागत पाठ्यक्रम बी.ए., बी. कॉम., बी.एस. सी. में रु.300/- प्रतिमाह दस माह तक। - तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रु. 750/- प्रतिमाह दस माह तक।
आवश्यक प्रपत्र	- बी.पी.एल. कार्ड। - मूल निवासी प्रमाण पत्र। - आय प्रमाण पत्र।
आवेदन किसे करें	- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य, आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें	- आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।

10. गांव की बेटी

योजना	- गांव की बेटी।
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
विवरण	<ul style="list-style-type: none"> - ग्रामीण मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता देना। - म.प्र. के प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी बालिकाओं का चयन किया जाता है। - चुनी हुई बालिकाओं में से जिसने उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो वह बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है। - नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलता है।
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> - छात्रा को प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र के लिये रु. 5,000/- प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। - योजना का लाभ शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने पर।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - मूल निवासी प्रमाण पत्र । - छात्रा की अंक सूची आय प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
आवेदन किसे करें	- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य। आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें	- आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।

11. पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति

योजना	- सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना।
विभाग	- स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- कन्याएँ जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 ^{ली} से 12 ^{वीं} तक नियमित छात्रा। - म.प्र. की मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- कक्षा 1 ^{ली} से 5 ^{वीं} तक छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 350/- वार्षिक। - कक्षा 6 ^{टी} से 8 ^{वीं} तक छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 400/- वार्षिक। - कक्षा 9 ^{वीं} से 12 ^{वीं} तक छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 450/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, माता अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। - मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

12. एकीकृत छात्रवृत्ति (सलंगन चार्ट के अनुसार)

योजना	- एकीकृत छात्रवृत्ति
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता देना। - शिक्षा के लिये विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना।
पात्रता	- शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत् विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की आय रु 25000/- वार्षिक।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है। (चार्ट सलंगन)
आवश्यक प्रपत्र	- माता-पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची। - महाविद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- प्राचार्य महाविद्यालय, आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है। - आवेदन आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को विश्वविद्यालय के विनिमय, अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।

संकायवार छात्रवृत्ति का विवरण निम्न अनुसार है -

सं. क्र.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/-	1. म. प्र. में किसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए पंजीयन आर.डी.सी.

					में साक्षात्कार के उपरांत किया हो। 2. प्री. जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
सं. क्र.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
2	एम.फिल.	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300/-	स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो।
3	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/-	स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
4	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/-	अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
5	खेलकूद	छात्र छात्रायें	11 11	150/-	जो छात्र म.प्र. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हों या जो प्रदेश की ब्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों
6	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/-	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
7	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/-	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।
8	फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	-	02	600/-	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर।

सं. क्र.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
9	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	-	02	600/-	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर।
10	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली	-	02	600/-	मध्यप्रदेश के छात्रों द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर।
11	संस्कृत छात्रवृत्तियाँ	1. स्नाकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	07	250/-	उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
		2. आचार्य	07	250/-	शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
		3. स्नातक (बी.ए. क्लासिक)	11	150/-	10+2 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
		4. शास्त्री	18	150/-	10+2 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
		5. उत्तर मध्यमा	33	75/-	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		6. पूर्व मध्यमा	33	75/-	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		7. प्रथमा	91	75/-	पाँचवी परीक्षा में योग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्र छात्राओं को।

13. मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

योजना	मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।
विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग।
पात्रता	किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 1ली से 12वीं तक नियमित विद्यार्थी। म.प्र. का मूल निवासी। मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र/पुत्री
सहायता क्या प्राप्त होगी	कक्षा 1ली से 5वीं तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु50/- वार्षिक। कक्षा 6टी से 8वीं तक विद्यार्थी की छात्रवृत्ति रु. 120/- वार्षिक। कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु. 250/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	कर्मचारी का मृत्यु/अपंगता/सेवा निवृत्ति प्रमाण-पत्र। माता-पिता, अभिभावक का आय मूल निवासी प्रमाण पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	विद्यालय प्राचार्य, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। - आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

14. समर्पण करने वाले दस्यु के बच्चे एवं परिवारों को शिष्यवृत्ति :

योजना	समर्पण करने वाले दस्यु के बच्चे एवं परिवारों को शिष्यवृत्ति।
विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग।
पात्रता	किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 1ली से 12वीं तक नियमित विद्यार्थी। म.प्र. का मूल निवासी। समर्पण करने वाले दस्यु के आश्रित।
सहायता क्या प्राप्त होगी	कक्षा 1ली से 5वीं तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु. 350/- आवासीय रु 600/ वार्षिक। कक्षा 6 टी से 8 तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु. 400/- आवासीय रु600/ वार्षिक। कक्षा 9वी से 12वी तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु. 450/- आवासीय रु650/ वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	समर्पण करने वाले दस्यु का प्रमाण पत्र। माता-पिता, अभिभावक का आय मूल निवासी प्रमाण पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फार्वर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

15 सामान्य संस्कृत छात्रवृत्ति:-

योजना	संस्कृत छात्रवृत्ति।
विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। आर्थिक सहायता प्रदान करना। संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
पात्रता	किसी परम्परागत संस्कृत पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी। म.प्र. का मूल निवासी।
सहायता क्या प्राप्त होगी	प्रथमा (6 से 8) के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रु. 50/- प्रतिमाह। मध्यमा (9 से 12) के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति रुपये 75/- प्रतिमाह।
आवश्यक प्रपत्र	माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फार्वर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

16. निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

योजना	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना
विभाग	सामाजिक न्याय विभाग।
उद्देश्य	प्रदेश के निःशक्त छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देना आत्मनिर्भर बनाना ।
पात्रता	6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के निःशक्त छात्र-छात्रा। माता-पिता अभिवावक की वार्षिक आय रुपये 96,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	छात्रवृत्ति प्राथमिक कक्षा में रु. 25/ प्रतिमाह। छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक कक्षा में रु. 35/- प्रतिमाह। ग्यारहवीं से स्नातक रु.140/- से रु. 170 के बीच प्रतिमाह। छात्रावासी छात्राओं को रु.140/- से रु. 240/- प्रतिमाह।
आवश्यक प्रपत्र	निःशक्तता का प्रमाण पत्र। मूल निवासी प्रमाण पत्र, अंकसूची। पालक का आय प्रमाण पत्र।
आवेदन किसे करें	संबंधित शाला प्रमुख/प्राचार्य।
अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें	संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग।

17. निः शुल्क गणवेश व मध्यान्ह भोजन योजना

योजना का नाम	निःशुल्क गणवेश व मध्यान्ह भोजन योजना
विभाग	शिक्षा विभाग
उद्देश्य	शिक्षा के लिये विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी।
सहायता क्या प्राप्त होगी	शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरण किया जाता है। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।
आवश्यक प्रपत्र	छात्रा/छात्र की अंक सूची और स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें	विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी । आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल ।

18. पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्रियों/पत्नी को छात्रवृत्ति

योजना	पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्रियों/पत्नी को छात्रवृत्ति योजना।																											
विभाग	श्रम विभाग।																											
पात्रता	शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी। म.प्र. का मूल निवासी। माता पिता अभिभावक का निर्माण कर्मकार का पंजीयन कार्ड। परिवार की दो संतान को ही लाभ।																											
सहायता क्या प्राप्त होगी	कक्षावार विवरण <table border="1"> <thead> <tr> <th>वार्षिक प्रोत्साहन राशि रु.</th> <th>छात्र</th> <th>छात्रा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कक्षा 1ली से 5वीं</td> <td>500</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>कक्षा 6वीं से 8वीं</td> <td>750</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>कक्षा 9वीं से 12वीं</td> <td>1000</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>स्नातक स्तर पाठ्यक्रम</td> <td>1500</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</td> <td>2500</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>स्नातकोत्तर डिप्लोमा</td> <td>3000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>व्यवसायिक पाठ्यक्रम में-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्नातकोत्तर स्तर के</td> <td>4000</td> <td>5000</td> </tr> </tbody> </table>	वार्षिक प्रोत्साहन राशि रु.	छात्र	छात्रा	कक्षा 1ली से 5वीं	500	750	कक्षा 6वीं से 8वीं	750	1000	कक्षा 9वीं से 12वीं	1000	1500	स्नातक स्तर पाठ्यक्रम	1500	2000	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	2500	3000	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	3000	4000	व्यवसायिक पाठ्यक्रम में-			स्नातकोत्तर स्तर के	4000	5000
वार्षिक प्रोत्साहन राशि रु.	छात्र	छात्रा																										
कक्षा 1ली से 5वीं	500	750																										
कक्षा 6वीं से 8वीं	750	1000																										
कक्षा 9वीं से 12वीं	1000	1500																										
स्नातक स्तर पाठ्यक्रम	1500	2000																										
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	2500	3000																										
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	3000	4000																										
व्यवसायिक पाठ्यक्रम में-																												
स्नातकोत्तर स्तर के	4000	5000																										
आवश्यक प्रपत्र	विद्यालय प्राचार्य।																											
आवेदन कहाँ करें	शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख।																											
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकासखंड अधिकारी, या जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी। आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।																											

19. पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को नकद पुस्कार योजना

योजना	पंजीकृत निर्माण कर्मकार के पुत्र/पुत्रियों/ को पुरस्कार योजना।		
विभाग	श्रम विभाग।		
पात्रता	शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी। म.प्र. का मूल निवासी। माता पिता अभिभावक का निर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड। परिवार की दो संतान को ही लाभ। प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर परीक्षा पास।		
सहायता क्या प्राप्त होगी	कक्षावार विवरण		
	वार्षिक प्रोत्साहन राशि रु.	छात्र	छात्रा
	कक्षा 4थी से 7वीं	500	750
	कक्षा 8वीं से 9वीं	750	1000
	कक्षा 10वीं तक	1000	2000
	12वीं तक	1500	2000
	स्नातक	2000	2000
	स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम	3000	3000
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	3000	3000
आवश्यक प्रपत्र	माता पिता अभिभावक का निर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड। मूल निवासी प्रमाण पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।		
आवेदन कहाँ करें	शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख।		
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी। आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।		

20. सुपर 50 योजना

योजना	सुपर 50 योजना।
विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो प्रख्यात व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	जिला स्तर पर शासकीय विद्यालय में 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का चयन। म.प्र. का मूल निवासी। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 54,000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	चयनित विद्यार्थी को 11वीं 12वीं के अध्ययन के साथ व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। (प्रति वर्ष कुल 150 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी आई. आई.टी. के लिये, 50 विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा के लिये एवं 50 विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के लिये)। विद्यार्थी के लिए पुस्तक छात्रावास भोजन तथा कोचिंग पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए व्यवस्था शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. भोपाल में की गई है।
आवश्यक प्रपत्र	माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकास खंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी। आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

21. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा छात्र वृत्ति

योजना	भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा छात्र वृत्ति।
विभाग	उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	शिक्षा के लिए विद्यार्थी की प्रोत्साहित करना आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो। भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी। म.प्र. का मूल निवासी। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 25000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थी को रु. 2500/- मासिक पाठ्यक्रम समाप्ति तक।
आवश्यक प्रपत्र	माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी प्रमाण-पत्र। विद्यार्थी की अंक सूची। विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	महाविद्यालय प्रचार्य, आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र।

22. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएं

(अ) छात्रावास

योजना	- प्री. मैट्रिक छात्रावास
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग
उद्देश्य	- आवास सुविधा उपलब्ध कराना। - शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं का नियमित विद्यार्थी। - छात्रों के लिए दूरी का बंधन-घर से तीन किलोमीटर में विद्यालय न हो। - छात्र के लिए दूरी का बंधन-घर से आठ किलोमीटर में विद्यालय न हो। - म.प्र. का मूल निवासी। - माता पिता अभिभावक की आय का बंधन नहीं।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रा को शिष्यवृत्ति प्रति माह रु. 700/- - छात्र को शिष्यवृत्ति प्रति माह रु. 675/-
आवश्यक प्रपत्र	माता-पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	विद्यालय के प्राचार्य के पास, संबंधित छात्रावास अधीक्षक।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।

(ब) आश्रम शालायें:-

आश्रम शालाएं छात्र-छात्राओं के लिए पृथक कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं। इन आश्रम शाला में छात्र-छात्रा को आवासीय सुविधा के अंतर्गत शैक्षणिक सुविधा शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाती है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रा को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। कक्षा 11वीं 12वीं के छात्रों को रिक्त सीट के एक तिहाई में प्रवेश दिया जा सकता है।

(स) पोस्टमैट्रिक छात्रावास:-

कक्षा 11वीं एवं उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत छात्रा - छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रतिवर्ष आगमन भत्ते की पात्रता होती है। आगमन भत्ते की राशि से बिस्तर एवं बर्तन आदि की व्यवस्था करते हैं।

23. छात्र गृह योजना

योजना	- छात्र गृह योजना।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- पोस्टमैट्रिक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना। - शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- दूरस्थ अंचल, संभागीय मुख्यालय में अध्ययन के लिए आने पर। - पोस्ट मैट्रिक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी(5 विद्यार्थी एक साथ रहने पर)।

	<ul style="list-style-type: none"> - म.प्र. का मूल निवासी हो। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचितजाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी।	<ul style="list-style-type: none"> - तहसील मुख्यालय पर अधिकतम रू. 3000/- मासिक प्रति छात्र गृह। - जिला मुख्यालय पर अधिकतम रू. 4000/- मासिक प्रति छात्र गृह। - संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम रू. 5000/- मासिक प्रति छात्र गृह।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - भवन किराया अनुबंध विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के साथ। - माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी, जाति प्रमाणपत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची एवं विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग

24. उत्कृष्ट छात्रावास योजना ।

योजना	- 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त अनुसूचित जाति / जनजाति के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिये उत्कृष्ट छात्रावास योजना ।
उद्देश्य	- मेधावी छात्र/छात्राओं को गुणवतापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा जिला एवं विकास खंड मुख्यालय पर प्रदान करना ।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग ।
पात्रता	- जिला एवं विकास खंड मुख्यालय पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश । - म.प्र. के मूल निवासी । - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के हो । - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो ।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- चयनित होने पर निःशुल्क शिक्षा, आवास, कोचिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधा ।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र । - विद्यार्थी की अंक सूची एवं विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र ।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग । - सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ।

25. आवासीय विद्यालय:-

योजना	- आवासीय विद्यालय।
विभाग	- आदिम जाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 6 ^{टी} से 12 ^{वीं} तक के मेधावी -छात्र/छात्राओं को विज्ञान, वाणिज्य संकाय विषयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
पात्रता	- 60 प्रतिशत से अधिक प्रप्तांक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं का प्रवेश लिखित परीक्षा से। - मेरिट के आधार पर। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित विशेष अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति जाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- चयनित होने पर निःशुल्क शिक्षा, आवास सुविधा।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय,मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- सम्बंधित छात्रावास अधीक्षक।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग। - सहायक आयुक्त आदिवासी विकास।

26. विभागीय छात्रावास रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना।

योजना	- विभागीय छात्रावास रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना।
विभाग	- आदिम जाति कल्याण विभाग
उद्देश्य	- जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्यनरत् विद्यार्थियों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करना।
पात्रता	- उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्यनरत् - 10वीं कक्षा उत्तीर्ण - मध्यप्रदेश का मूल निवासी - शासन द्वारा अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो - माता-पिता, अभिभावक आयकरदाता न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- प्रशिक्षण डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेन्ट, फायनेन्शियल अकाउन्टेन्ट डाटाबेस मैनेजमेन्ट, डी.टी.पी. व स्क्रीन प्रिंटिंग विधाओं का।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची - संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	- संबंधित छात्रावास
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।

27. राज्य प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना	- प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति।
विभाग	- आदिम जाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- कक्षा 1ली से 8वीं का नियमित विद्यार्थी हो। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति / जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- कक्षा 1ली से 5वीं तक के छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति रु.150/- वार्षिक। - कक्षा 6टी से 8वीं तक के छात्र को छात्रवृत्ति रु.200/- वार्षिक। - कक्षा टी से 8वीं तक की छात्रा को छात्रवृत्ति रु.300/- वार्षिक। - कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्र को छात्रवृत्ति रु.600/- वार्षिक। - कक्षा 9वीं से 10वीं तक की छात्रा को छात्रवृत्ति रु.800/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र। - अंक सूची एवं विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	विद्यालय के प्राचार्य के पास। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।

28. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना	- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी विद्यालय में कक्षा 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर का नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- पात्र छात्रों को निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। - छात्रावासी व गैर छात्रवासी विद्यार्थी के लिए निर्वाह भत्ता/अनुरक्षण भत्ते की दरें अलग अलग है।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक की आय, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची एवं संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।

29. अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना	- अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी विद्यालय में कक्षा 11वी व 12वी का नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- पात्र छात्रों को घोषित निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। - छात्रा को शिष्यवृत्ति प्रति माह रु. 465/- - छात्र को शिष्यवृत्ति प्रति माह रु. 440/- - छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय - मूल निवासी जाति प्रमाणपत्र। - विद्यार्थी की अंक सूचि विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग

30. - विशेष पिछड़ी जनजातियों के बालकों को छात्रवृत्ति

योजना	- विशेष पिछड़ी जनजाति के बालको को छात्रवृत्ति (सहरिया, भारिया तथा बेगा)।
विभाग	- आदिम जाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी - कक्षा 1 से 5वीं तक के विशेष पिछड़ी जनजाति के समस्त विद्यार्थी
सहायता क्या प्राप्त होगी	- कक्षा 1 ली से 5 वी तक के बालको को छात्रवृत्ति रु150/-वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक की आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची एवं विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग

31. जनश्री बीमा-

नोट :- पिछड़ी विशेष जनजाति के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु पर

30 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है।

आवेदन सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को करना होगा।

32. प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर

योजना	- प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास।
पात्रता	- शाला का नियमित विद्यार्थी हो। - कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले एक आदिवासी छात्र तथा एक छात्रा। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- प्रति वर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में नेतृत्व विकास की क्षमता बढ़ाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण। - अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात व ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का अवलोकन।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक की आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची एवं संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक - सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग

33. विद्यार्थी कल्याण:-

योजना	- विद्यार्थी कल्याण योजना ।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग ।
उद्देश्य	- आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता दी जाती है। ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें- <ol style="list-style-type: none"> 1. आकस्मिक विपत्ति में सहायता । 2. विशेष रूप से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु सहायता । 3. विद्यार्थी की विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता । 4. लोक नृत्य लोकगीत खेलकूद आदि में भाग लेने हेतु सहायता । 5. विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायता ।
पात्रता	- शाला का नियमित विद्यार्थी । - म.प्र. का मूल निवासी । - आर्थिक रूप से कमजोर । - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो । - माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो ।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- सहायता की राशि रूपये 1000/- से 25000/- तक ।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची एवं संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र ।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास ।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- मंडल संयोजक/सहायक आयुक्त । - जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ।

34. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन :-

योजना	- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन।
विभाग	- आदिम जाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कन्या को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना - शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी विद्यालय की कक्षा 6 से 11वीं की नियमित छात्रा। - म.प्र. के मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित विशेष अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति जाति की हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी।	- छात्रा 6टी में प्रवेश लेती है तब 500/-रु.। - कक्षा 9वीं में प्रवेश लेती है तब 1000/-रु.। - कक्षा 11वीं में प्रवेश लेती है तब 3000/-रु.।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय,मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची एवं संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- मंडल संयोजक/सहायक आयुक्त। - जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग।

35. बालिकाओं को निःशुल्क साइकल प्रदाय योजना:-

योजना	- अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग की बालिकाओं को निः शुल्क साइकिल प्रदाय योजना ।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग ।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करना । - आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता	- किसी शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली नियमित छात्रा । - शासन द्वारा घोषित विशेष अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति जाति की हो । - ग्राम में शासकीय शाला उपलब्ध न हो । - म.प्र. के मूल निवासी हो । - माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो ।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- विद्यार्थी को 2400 रु. का चेक साइकल कय करने के लिए (सिर्फ एक बार)।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र ।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास ।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- मंडल संयोजक/सहायक आयुक्त । - जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ।

36. प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना:-

योजना	- प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- सैनिक स्कूल तथा प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में प्रवेश एवं अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - पब्लिक स्कूल में प्रवेश कक्षा 3री तथा 4थी कक्षा से होता है। सैनिक स्कूल में प्रवेश कक्षा 6टी कक्षा से होता है। - विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रारंभिक चयन में सफल विद्यार्थी संबंधित संस्था की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। - इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूल/सैनिक स्कूल में प्रवेश मिलता है। - प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है। तथा चयन की कार्यवाही संबंधित संस्था के द्वारा ही की जाती है। - शासन द्वारा घोषित विशेष अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति जाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- चयन उपरांत प्रवेशित छात्रों की स्कूल फीस तथा अन्य शुल्कों का वहन विभाग द्वारा किया जाता है।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय,मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- संस्था के प्राचार्य को।

अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	<ul style="list-style-type: none"> - विकासखंड स्तर - विकासखंड शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य। - जिला स्तर सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा/प्राचार्य डेली कॉलेज इन्दौर तथा सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर एवं डी.पी.एस. इन्दौर /भोपाल। - मुख्यालय स्तर आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
-------------------------------	---

37. विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

योजना	- विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> - इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को विदेश में शिक्षा लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी आर्थिक सहायता करना। - अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि तथा शोध प्राप्त करने के लिये विदेशों में अध्ययन करना चाहते हैं। - विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश के जिलों के लिये है।
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. हितग्राही के 60 प्रतिशत प्राप्तांक हो। 2. मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति/ जनजाति का सदस्य हो। 3. आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम हो।

	<p>4. आवेदक या उसके अभिभावक की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु. 5 लाख।</p> <p>5. विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में चयन होने व प्रवेश का प्रमाण</p> <p>6. म.प्र. का मूल निवासी</p> <p>7. शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/ जनजाति का हो।</p>
सहायता क्या प्राप्त होगी	- राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम रुपये 15 लाख प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति वितरण बैंक के माध्यम से होगा।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय,मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित महाविद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	- समयावधि में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आयुक्त अनुसूचित जाति/आदिवासी विभाग म.प्र. भोपाल को करें।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक/प्राचार्य विज्ञान महाविद्यालय।

38. सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने लिये प्रोत्साहन

योजना	- सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने लिये प्रोत्साहन राशि।		
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।		
उद्देश्य	- अभ्यर्थी को संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।		
पात्रता	- म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1,20000/-से अधिक न हो।		
सहायता क्या प्राप्त होगी	विवरण	राज्य लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि (रूपये)	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि (रूपये)
	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	20000/-	40000/-
	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	30000/-	60000/-
	साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर	25000/-	50000/-
आवश्यक प्रपत्र	-माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाणपत्र विद्यार्थी की अंक सूची, संबंधित कार्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र		
आवेदन कहाँ करें	- सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा संयोजक आदिम जाति कार्यालय।		
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल		

39. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

योजना	- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा कृषि एवं अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना।
पात्रता	- म.प्र. का मूल निवासी । - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो । - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- संभागीय जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षणार्थियों को आवास व शिष्यवृत्ति की सुविधा।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची। - संबंधित विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, ग्वालियर, सागर, मुरैना, संचालनालय अनुसूचित जाति विकास, कुलपति/सचिव भोज मुक्त विश्व विद्यालय भोपाल।

40. विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति :-

योजना	- विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति ।
विभाग	- आदिमजाति कल्याण विभाग ।
उद्देश्य	- विधिक व्यवसाय में सुप्रशिक्षित स्वावलम्बी जीवन व्यतित करना । - शिक्षा के लिये विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना । - आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता	- विधिक स्नातक जो बार कौंसिल मे पजीकृत हो । - हितग्राही का चयन जिला कार्यलाय पर किया जाता है । - विधि परीक्षा की अंक सूची । - म.प्र. का मूल निवासी । - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो । - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो । - हितग्राही चयन जिला कार्यालय द्वारा
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रवृत्ति रुपये 200/- प्रतिमाह एक वर्ष तक ।
आवश्यक प्रपत्र	- मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची । - मांगे गए प्रपत्र ।
आवेदन कहाँ करें	- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग/ सहायक आयुक्त आदिम जाति मध्यप्रदेश, भोपाल ।

4.1. विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी का प्रदाय :-

योजना	- विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी का प्रदाय
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता देना। - शिक्षा के लिये विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना।
पात्रता	- शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत्। (सीट सीमित है) - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- योजना में स्नातक स्तर पर रूपये 600/- प्रति दो विद्यार्थी। - स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 800/- प्रति दो विद्यार्थी। (पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु) - स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/- प्रति विद्यार्थी के हिसाब से स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। यह सुविधा प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय में उपलब्ध है। - छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है।
आवश्यक प्रपत्र	- मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची। - मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- प्राचार्य महाविद्यालय।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।

4.2. विद्यार्थी को पी.एच.डी. के लिये शोध छात्रवृत्ति :-

योजना	- विद्यार्थी को पी.एच.डी. के लिये शोध छात्रवृत्ति।
विभाग	- उच्च शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता देना। - शिक्षा के लिये विद्यार्थी को प्रसोत्साहित करना।
पात्रता	- शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत। (सीट सीमित है) - म.प्र. का मूल निवासी। - विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत। - उपस्थिति शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन निर्देशक/गाइड से प्रमाणित। - यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 40 एवं अनुसूचित जन जाति के 60 विद्यार्थियों को प्रदाय। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय वर्तमान में प्रतिमाह रु-5,000/- - यह सुविधा प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय में उपलब्ध है। - छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से।
आवश्यक प्रपत्र	- माता-पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र - विद्यार्थी की अंक सूची। - महाविद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- प्राचार्य महाविद्यालय। - आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को विश्वविद्यालय के विनिमय, अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, मध्यप्रदेश भोपाल।

4.3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक/युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना।

योजना	- युवक-युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना।
विभाग	- तकनीकी शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- युवाओं को उच्च तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना। - तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा देना।
पात्रता	- मध्यप्रदेश का मूल निवासी - हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। - महिलाओं और निःशक्तजनों के लिये आरक्षण - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- पात्र युवाओं को औद्योगिक संस्थाओं, शासकीय पोलिटेक्निक विद्यालयों एवं भारत जर्मन तकनीकी सहयोग से बनी संस्था सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड स्टॉफ परफार्मेंस (क्रिस्प) में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पठन-पाठन सामग्री और 500/- रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति। - प्रशिक्षण के बाद उनको राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। - छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। - अभ्यर्थी की अंक सूची, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला सहायक आयुक्त, जिला संयोजक/ आदिमजाति कल्याण विभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

4.4. ग्रामीण इंजीनियर, रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :-

योजना	- ग्रामीण इंजीनियर, रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
विभाग	- तकनीकी शिक्षा विभाग।
उद्देश्य	- ग्रामीण युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना। - तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा देना।
पात्रता	- मध्यप्रदेश का मूल निवासी - हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। - एक गाँव से चयनित एक युवक को 110 दिन का प्रशिक्षण। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अनुसूचित जाति/जनजाति का हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- पात्र युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, शासकीय पोलिटेक्निक विद्यालयों एवं भारत जर्मन तकनीकी सहयोग से बनी संस्था सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड स्टॉफ परफार्मेंन्स (क्रिस्प) में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पठन-पाठन सामग्री और 500/- रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। - प्रशिक्षण के बाद उनको राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। - छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। - अभ्यर्थी की अंक सूची, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- जिला सहायक आयुक्त, जिला संयोजक/ आदिमजाति कल्याण विभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण

4.5. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

योजना	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
विभाग	- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग राज्य छात्रवृत्ति।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी की प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी विद्यालय में कक्षा 6टी से 10वीं तक का नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो। - 10 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	-कक्षा 6टी से 8वीं के छात्र को छात्रवृत्ति रु.200/- वार्षिक। -कक्षा 6टी से 8वीं की छात्रा को छात्रवृत्ति रु.300/- वार्षिक। -कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्र को छात्रवृत्ति रु.300/- वार्षिक। -कक्षा 9वीं से 10वीं की छात्रा को छात्रवृत्ति रु.400/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी जाति प्रमाणपत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख/शाला प्राचार्य/प्रधान अध्यापक।

4.6.पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।

योजना	- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।
विभाग	- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में किसी विद्यालय में कक्षा 11वीं व 12वीं का नियमित विद्यार्थी एवं महाविद्यालयीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 75000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- पात्र छात्रों को निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। - छात्रावासी व गैर छात्रवासी विद्यार्थियों के लिए निर्वाह भत्ते/अनुरक्षण भत्ते की दरें अलग-अलग।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विभागीय जिला सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक/नोडल विकासखंड अधिकारी

4.7. प्रावीण्य छात्रवृत्ति।

योजना	- प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना।
विभाग	- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी भी जिले के विद्यालय में कक्षा 5 ^{वीं} 8 ^{वीं} में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्र को छात्रवृत्ति रु. 40/- मासिक 10 माह तक। - छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 50/- मासिक 10 माह तक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	- विद्यालय के प्राचार्य के पास, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाला प्राचार्य/प्रधान अध्यापक।

48. छात्र गृह योजना।

योजना	- छात्र गृह योजना।
विभाग	- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना। - शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- दूरस्थ अंचल से संभागीय मुख्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले पोस्ट मैट्रिक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके पास आवास न हो। - 5 विद्यार्थी एक साथ रहने पर। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 75000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- तहसील मुख्यालय पर अधिकतम रु. 3000/- मासिक प्रति छात्र गृह। - जिला मुख्यालय पर अधिकतम रु. 4000/- मासिक प्रति छात्र गृह। - संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम रु. 5000/- मासिक प्रति छात्र गृह।
आवश्यक प्रपत्र	- भवन किराया अनुबंध विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के साथ। - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	- विद्यालय के प्राचार्य के पास, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/आदिम जाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण।

49. विद्यार्थी कल्याण।

योजना	विद्यार्थी कल्याण योजना।
विभाग	- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	- आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना। - निम्नलिखित परिस्थितियों में सहायता :- 1. आकस्मिक विपत्ति में। 2. विशेष रूप से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु सहायता 3. विद्यार्थी की विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता। 4. लोक नृत्य लोकगीत खेलकूद आदि प्रदर्शन में भाग लेने हेतु सहायता 5. विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायता।
पात्रता	- शाला का नियमित विद्यार्थी - आर्थिक रूप से कमजोर - म.प्र. का मूल निवासी - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- सहायता की राशि रुपये 1000/- से 25000/- तक (शाला प्रमुख द्वारा अनुशंसा के आधार पर)
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, - विद्यार्थी की अंक सूची, - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र
आवेदन कहाँ करे	- विद्यालय के प्राचार्य के पास।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक / नोडल संस्था प्रमुख।

50. व्यावसायिक महा विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग।

योजना	व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग।
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	चिकित्सा, कृषि एवं अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - कक्षा 11वीं में 60 प्रतिशत प्राप्तांक। - शाला का नियमित विद्यार्थी। - परिवार की वार्षिक आय 75,000/- रु. से अधिक न हो। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- संभागीय जिला मुख्यालय पर निः शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा (प्रत्येक जिले में 120 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण)।
आवश्यक प्रापत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - महा विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	जिला सहायक आयुक्त/जिल संयोजक/प्राचार्य विज्ञान महाविद्यालय।

51. बालक-बालिका हेतु छात्रावास योजना।

योजना	बालक बालिका हेतु छात्रावास योजना।
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	बालक को संभाग स्तर पर तथा बालिका को जिला स्तर पर शिक्षा जारी रखने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - उसी जिले के किसी विद्यालय में नियमित विद्यार्थी। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता ना हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	चयनित होने पर निः शुल्क आवास सुविधा।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	विद्यालय प्राचार्य।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/जिले के कलेक्टर।

52. संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन ।

योजना	संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि ।		
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग		
उद्देश्य	अभ्यर्थी को संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्सहित करना ।		
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - म.प्र. का मूल निवासी - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो । - माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 75,000/- से अधिक न हो। (मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु)। - संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने पर आय का बंधन नहीं । 		
सहायता क्या प्राप्त होगी	विवरण	राज्य लोक सेवा आयोग (रु.)	संघ लोक सेवा आयोग (रु.)
	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	15000/-	25000/-
	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000/-	50000/-
	साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर	10000/-	25000/-
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र । - विद्यार्थी की अंक सूची। - संबंधित कार्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र। 		
आवेदन कहाँ करें	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय ।		
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख आयुक्त आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ।		

53. दिल्ली छात्र गृह योजना

योजना	दिल्ली छात्र गृह योजना
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> - अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए दिल्ली में आवास सुविधा उपलब्ध कराना - शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना - आर्थिक सहायता प्रदान करना
प्रात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन के लिए आने पर कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। - छात्र-छात्राएं प्रथम वर्ष तथा उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत/प्रवेशित प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र। - म.प्र. में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, - म.प्र. का मूल निवासी, - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 25000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	<ul style="list-style-type: none"> - छात्र गृह हेतु प्रति छात्र 1000/- रु. की दर से मकान किराया, पानी, विद्युत, व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 50/- प्रतिमाह की दर से 12 माह तक
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची, - महाविद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र
आवेदन कहाँ करे	- विशेष आयुक्त मध्यप्रदेश नई दिल्ली
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिल	- विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख आयुक्त आदिम जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

54. मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक :

योजना	मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, ईसाई बौद्ध, मुस्लिम, पारसी)।
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग (केन्द्र शासन)।
उद्देश्य	तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर ।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक। - शाला का नियमित विद्यार्थी । - परिवार की आय रु. 2.50 लाख से अधिक न हो। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक का हो। - माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो। (सीट सीमित)
सहायता क्या प्राप्त होगी	<ul style="list-style-type: none"> - छात्रावासी विद्यार्थी को रु. 1000/- मासिक 10 माह तक । - गैर छात्रवासी को रु. 500/- मासिक 10 माह तक। - पाठ्यक्रम शुल्क अधिकतम रुपये 20000/-।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची।। - महाविद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	प्राचार्य महाविद्यालय। यह आवेदन ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	- विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख।

55. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सिख, ईसाई, बौद्ध मुस्लिम, पारसी।)
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग (केन्द्र शासन)।
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- किसी विद्यालय में कक्षा 1ली से 10वीं का नियमित विद्यार्थी (प्रति परिवार अधिकतम दो विद्यार्थी)। - म.प्र. का मूल निवासी। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति का हो। - माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रु. से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	- कक्षा 1ली से 8वीं छात्र को छात्रवृत्ति रु. 200/- वार्षिक। - कक्षा 1ली से 8वीं छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 300/- वार्षिक। - कक्षा 9वीं से 10वीं छात्र को छात्रवृत्ति रु. 300/- वार्षिक। - कक्षा 9वीं से 10वीं छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 400/- वार्षिक।
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	विद्यालय प्राचार्य। यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फावर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विभागीय जिला सहायक आयुक्त /जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी।

56. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी।)
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग (केन्द्र शासन)।
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> - शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक का हो। - शाला का नियमित विद्यार्थी। - माता-पिता अभिभावक की वार्षिक रु. 75000/- से अधिक न हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	<ul style="list-style-type: none"> - पात्र छात्रों को निर्धारित दरो पर छात्रवृत्ति का भुगतान। - छात्रावासी व गैर छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए निर्वाह भत्ता/अनुरक्षण भत्ते की दरें अलग-अलग।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - विद्यालय द्वारा मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करे	विद्यालय प्राचार्य, यह आवेदन विद्यालय प्राचार्य को एक बार जमा करना है, वे इसे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	विकासखंड अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/ नोडल संस्था प्रमुख।

57. उच्च शिक्षा के लिये विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना :-

योजना	उच्च शिक्षा के लिये विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति।
विभाग	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग।
उद्देश्य	चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को विदेश में विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरान्त शोध के लिये वित्तीय सहायता।
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> - आवेदक हितग्राही को 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक। - मध्यप्रदेश में निवासरत। - 1 जनवरी को आयु 35 वर्ष से कम हो। - शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन हेतु - स्नातकोत्तर परीक्षा में 60 प्रतिशत प्राप्तांक, संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि। - शोध उपाधि हेतु-स्नातकोत्तर परीक्षा में 60 प्रतिशत प्राप्तांक, 2 वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल. उपाधि। - स्नातकोत्तर उपाधि हेतु - स्नातक उपाधि में 60 प्रतिशत प्राप्तांक। - (कुल 5 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है) - एक परिवार में एक विद्यार्थी एवं एक बार छात्रवृत्ति। - आवेदक या उसके अभिभावक की आय सीमा क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

	<ul style="list-style-type: none"> - विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में चयन होने व प्रवेश का प्रमाण - म.प्र. का मूल निवासी हो। - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का हो।
सहायता क्या प्राप्त होगी	<ul style="list-style-type: none"> - राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान । - छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से ।
आवश्यक प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> - माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची। - मांगे गए प्रपत्र।
आवेदन कहाँ करें	<ul style="list-style-type: none"> - स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कहाँ मिले	<ul style="list-style-type: none"> - आयुक्त/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण।

गैर शासकीय योजनाएँ

58. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मेधावी छात्राओं के लिये

योजना	अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं के लिये मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (सिख, इसाई बोद्ध, मुस्लिम, पारसी छात्राओं)
विभाग	गैर सरकारी संगठन (केन्द्र शासन)
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए मेधावी छात्रा को प्रोत्साहित करना - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	- कक्षा 10वीं में शाला की नियमित विद्यार्थी रही हो। - कक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक - पिछले वित्त वर्ष में परिवार की आय रु. एक लाख से अधिक न हो - शासन द्वारा घोषित अनुसूची में अल्पसंख्यक जाति की हो (सीट सीमित)
सहायता क्या प्राप्त होगी	- छात्रा को छात्रवृत्ति रु. 12000/- दो किस्तों में - प्रथम किस्त कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर - द्वितीय किस्त कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर
आवश्यक प्रपत्र	- माता पिता अभिभावक का आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। - विद्यार्थी की अंक सूची, वर्तमान स्कूल/ कॉलेज के प्राचार्य का प्रमाण पत्र
आवेदन कहाँ करें	आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक प्रपत्र के साथ निम्न लिखित पते पर प्रेषित करें - मौलाना आजाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110055. फोन न. 011-23583788, 23583789
अधिक जानकारी के लिए देखें	वेबसाइट- www.maef.nic.in

59. टेलेंट्सर्च स्कॉलरशिप स्कीम

योजना की जानकारी -

हमदर्द एजुकेशन सोसायटी नई दिल्ली द्वारा मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिये टेलेंट्सर्च स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी, इंटरमीडिएट या समतुल्य अथवा ग्रेज्युएशन, पोस्ट ग्रेज्युएशन के मेधावी छात्र-छात्राओं को लोन कम स्कॉलरशिप देने की योजना/स्कॉलरशिप दी जाती है।

पात्रता -

1. इस स्कॉलरशिप में विद्यार्थियों का चयन लिखित टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होता है।
2. जो विद्यार्थी इस लिखित टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर पास होता है, उसे ही यह स्कॉलरशिप प्राप्त होती है।

छात्रवृत्ति दर -

- हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थी को रुपये 250/- प्रतिमाह
- इन्टरमीडिएट या समतुल्य को रुपये 350/- प्रतिमाह
- ग्रेज्युएशन को रुपये 500/- प्रतिमाह
- पोस्ट ग्रेज्युएशन को रुपये 1200/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी।

आवेदन प्राप्ति/सम्पर्क

इच्छुक छात्र-छात्राओं को आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी www.jamiahamdard.edu पर ले सकते हैं।

सचिव,

हमदर्द एजुकेशन सोसायटी,

तालीमाबाद, संगम विहार,

नई दिल्ली - 110062

फोन - 011 - 26048849, 26045063.

60. मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट (मेट) स्कॉलरशिप आई.डी.बी. जद्दा स्कॉलरशिप प्रोग्राम

योजना की जानकारी -

मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा मुस्लिम वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये बिना ब्याज लोन के रूप में स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस संस्था के द्वारा पूरे भारत वर्ष से मेडीसिन, इन्जीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के चयनित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को लोन के रूप में स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। विद्यार्थी लोन (कर्ज) नौकरी लगने के बाद किश्तों के द्वारा चुका सकता है।

पात्रता -

1. उम्मीदार प्रतिभावान हो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
2. प्रतियोगी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त छात्र-छात्राएँ ही इस स्कॉलरशिप के लिये आवेदन कर सकते हैं।
3. यह स्कॉलरशिप ब्याज रहित लोन है।
4. विद्यार्थियों को कोर्स नियमित छात्र/छात्रा के रूप में करना होगा।

आवेदन प्राप्ति/सम्पर्क :-

इस ब्याज लोन के रूप में दी जाने वाली स्कॉलरशिप के आवेदन को www.metdelhi.org से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दिये गये फार्मेट के अनुसार ही आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन भेजना होगा।

सचिव, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट,

ई-3, अब्दुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-25

दूरभाष : 011-26957004, 26941354, 65738725

ई मेल : metdelhi@rediffmail.com वेबसाईट : www.metdelhi.org

भोपाल - कम्पेनियन स्कूल

ए-24/1, रौशन मस्जिद के पीछे

गर्वनमेन्ट हमिदिया बॉयज हायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल।

61. ह्यूमन वेल्फेयर फाउन्डेशन

योजना की जानकारी -

ह्यूमन वेल्फेयर फाउन्डेशन द्वारा विजन 2016 कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये लोन स्कॉरशिप दिया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पोस्टग्रेज्युएशन विषयों की पढ़ाई के लिए लोन स्कॉरशिप दी जाती है। एम.एस.डब्ल्यू (समाजकार्य), एम.ए. साइकोलॉजी एम.सी.जे./एम.ए./पत्रकारिता और मास कम्यूनिकेशन में पी.जी. डिप्लोमा, एम.ए. ग्रामीण विकास, एम.बी.ए./एम.ए. वित्तीय प्रबंधन में एम.बी.ए./एम.ए., हॉस्पिटल मेनेजमेन्ट, गाइडेन्स और कॉन्सलिंग में पी. जी. डिप्लोमा, ग्रामीण विकास में पी.जी. डिप्लोमा, फिल्म टेक्नालॉजी में डिप्लोमा, डेवलपमेन्ट कम्यूनिकेशन में पी.जी. डिप्लोमा, एम.ए. समाजशास्त्र, एम.ए. अर्थशास्त्र, एल. एल.एम., एम.ए. लोकप्रशासन, एम.ए. एजुकेशन मेनेजमेन्ट, एम.बी.ए. ग्रामीण प्रबंधन, एम.ए. मानव अधिकार, एम.ए. पीस एंड कानफ्लिक्ट रिजोलुशन, एम.बी. ए./एम.ए. ह्यूमन रिसोर्स मेनेजमेन्ट, एम.ए./पी.जी. डिप्लोमा डिजास्टर मेनेजमेन्ट, एम.ए./एम.बी.ए./पी.जी. डिप्लोमा इन एन.जी.ओ. मेनेजमेन्ट ।

पात्रता -

यह स्कॉलरशिप भारत के उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश में निवास करने वाले उपरोक्त कोर्सेस की रेग्युलर पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, दी जाती है।

योजना आवेदन की प्रक्रिया -

आवेदन की प्रक्रिया प्रतिवर्ष जून/जुलाई माह से शुरू होती है। इस संबंध में अधिक जानकारी और आवेदन पत्र उपरोक्त सभी राज्यों के निम्नलिखित झोनल ऑफिस से प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाइट - <http://www.vision2016.org> से डाउनलोड कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश

जमात-ए-इस्लामी हिन्द, (मध्यप्रदेश क्षेत्र), हुदा कॉम्पलेक्स 33/ए, लाला
लाजपतराय कालोनी, बाग-दिलखुशा, भोपाल - 462023 फोन 0755 -
275574

सम्पर्क (केन्द्रीय कार्यालय)

सचिव, ह्यूमेन वेलफेयर ट्रस्ट,

डी-317, दावत नगर, अबुल फजल इन्वलेव, जामिया नगर,

नई दिल्ली-110025

फोन नंबर 011 - 26955896, 26941401, 2694341

ईमेल - hwfindia@gmail.com वेब साइट - www.vision2016.org.in

62. हमदर्द एजुकेशन सोसायटी

योजना की जानकारी -

हमदर्द एजुकेशन सोसायटी द्वारा विभिन्न कोर्सेस के लिए जरूरतमंद मुस्लिम बच्चों को लोन स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के आवेदन पर भी विचार किया जाता है।

विद्यार्थी को इस लोन स्कॉलरशिप की वापसी कोर्स पूरा करने के दो साल बाद की जानी है।

पात्रता -

1. आवेदक को मुस्लिम होना चाहिए ।
2. यह लोन स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स के आधार पर दी जाती है ।
3. इसके तहत आवेदक का हाईस्कूल में 80 प्रतिशत, इंटरमीडियट में 75 प्रतिशत एवं एजुकेशन/पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 प्रतिशत अंक होना जरूरी है।
4. इसमें भारत के सभी राज्यों से मुस्लिम बच्चे भाग ले सकते हैं।

छात्रवृत्ति की दर -

- हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी - रुपये 350 प्रतिमाह
- इंटरमीडियट या समकक्ष - रुपये 550 प्रतिमाह
- ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन - रुपये 800 प्रतिमाह
- डॉक्टरेट के लिये - रुपये 1200 प्रतिमाह

आवेदन की प्रक्रिया/सम्पर्क-

तालीमाबाद संगम बिहार, नई दिल्ली-110062

फोन नंबर 011-26048848, फैक्स - 26042030

विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट

secretary@hamdardeducationsociety.org

director.admin@hamdardeducationsociety.org

admin@hamdardeducationsociety.org

hostil.sports@hamdardeducationsociety.org देख सकते हैं।

63. मुस्लिम एजुकेशन एण्ड कैरियर प्रमोशन सोसायटी (MECAPS)

मीकैप्स मीन्स फैलोशिप

योजना की जानकारी -

“मीकैप्स” द्वारा भोपाल के मुस्लिम बच्चों को तालीम में मदद के लिए फैलोशिप दिया जाता है।

“मीकैप्स” द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को माली हालात के बुनियाद पर वजीफे दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत 9 और 10 कक्षा के विद्यार्थियों को रुपये 300 और कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को रुपये 400 प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है।

पात्रता -

1. आवेदक भोपाल जिला का होना चाहिए।
2. आवेदक के परिवार की आय रुपये 6,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक किसी सरकारी स्कूल या सरकार से मंजूरशुदा स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हो।

मीकैप्स टाइटल एक्जामिनेशन स्कॉलरशिप

योजना की जानकारी -

यह स्कॉलरशिप मैरिट के आधार पर दी जाती है। यह स्कॉलरशिप कक्षा 9 से 12वीं तक के मुस्लिम बच्चों को दिया जाता है। इसके तहत प्रति वर्ष भोपाल जिले के मेधावी मुस्लिम बच्चों की लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू आयोजित की जाती है। चयनित बच्चों को प्रतिमाह रुपये 300 वजीफा दिया जाता है। इसके अलावा चयनित सीनियर बच्चों (कक्षा 10 से 12 तक) को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल गोल्डन मेडल और एक बेल्ट दिया जाता है, जबकि

चयनित जूनियर बच्चों को इकबाल जाफर मेमोरियल मेडल और एक बेल्ट दिया जाता है।

पात्रता -

1. आवेदक का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए।

तालीमी मदद

योजना की जानकारी -

इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए कुछ चुनिंदा जरूरतमंद तालिब इल्मों को अच्छे कोर्सेस में पढ़ाई पूरी करने के लिये रुपये 10,000/- तक की मदद की जाती है।

पात्रता -

1. यह मदद केवल कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के लिये है।
2. आवेदक का किसी अच्छे कोर्स में दाखिला होना जरूरी है।

सम्पर्क -

मुस्लिम एजुकेशन एण्ड कैरियर प्रमोशन सोसायटी (MECAPS),

मोती मस्जिद कैम्पस, भोपाल-462001,

फोन नंबर 0755 - 2530823, 3047314

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

- शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।
- मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार के पदों पर भर्ती करना।
- आधारभूत ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की उपयुक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना।
- सांप्रदायिकता तथा हिंसा पर नियंत्रण एवं रोकथाम।

शिक्षा हेतु बैंक ऋण के नियम व जानकारी

योजना	- शिक्षा ऋण
विभाग	- समस्त शासकीय/निजी बैंक
उद्देश्य	- शिक्षा के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना । - आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्र कोर्सेस	भारत में शिक्षा के लिये :- - विद्यालय, विश्व विद्यालय द्वारा संचालित एवं यू. जी. सी./ए. आई. सी.आई. ई./शासन द्वारा अनुमोदित स्नातक, स्नातकोत्तर (तकनीकी व व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा सहित) कोर्सेस। - आई.आई.टी. / आई.आई.एम. द्वारा संचालित डिग्री / डिप्लोमा कोर्सेस - भारत शासन/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित - शिक्षण प्रशिक्षण/नर्सिंग कोर्सेस। - महानिदेशक उड्डयन/पोत द्वारा अनुमोदित Aeronautical, pilot shipping इत्यादि का प्रशिक्षण।

	विदेशों में शिक्षा के लिये :-	
	<ul style="list-style-type: none"> - प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक / तकनीकी स्नातक / स्नातकोत्तर / डिप्लोमा जैसे कि - एम.सी.ए. एम.बी.ए., एम.एस. इत्यादि। 	
पात्र शुल्क व अन्य खर्च	<ul style="list-style-type: none"> - छात्रावास / विद्यालय को देय शुल्क। - परीक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला शुल्क। - किताब / उपस्कर / उपकरण / कम्प्यूटर / पोशाख इत्यादि की खरीदी (शिक्षण शुल्क के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं) - अवधान द्रव्य (कॉशन मनी) भवन फण्ड/वापसी योग्य जमा (अधिकतम शिक्षण शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) - यात्रा खर्च विदेश में अध्ययन हेतु। - एक दोपहिया वाहन रुपये 50,000/- तक - अन्य खर्च जो कि शिक्षण के लिये आवश्यक हों। 	
ऋण की राशि	<ul style="list-style-type: none"> - भारत में - अधिकतम रुपये 10 लाख । - विदेश में अधिकतम रुपये 30 लाख । 	
ब्याज दर	- संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित।	
पुर्नभुगतान अवधि	<ul style="list-style-type: none"> - 5 से 7 वर्ष । - (कोर्स पूर्ण होने के एक साल बाद या नौकरी / व्यवसाय प्रारम्भ करने के 6 माह बाद जो भी पहले हो) 	
प्रतिभूमि/जमानत	ऋण की राशि <ul style="list-style-type: none"> - रु. 4 लाख तक - रु. 4 लाख से ऊपर 7.50 लाख तक - 7.50 लाख से ऊपर 	प्रतिभूति/जमानत <ul style="list-style-type: none"> - शून्य - तृतीय पक्ष की जमानत संबंधित बैंक के विवेक पर निर्भर।

		- संपार्श्विक प्रतिभूति ऋण की राशि के अनुरूप।
मार्जिन	- रु. 4 लाख तक - रु. 4 लाख के ऊपर भारत में शिक्षण के लिये - विदेश में शिक्षण के लिये	- शून्य - 5% - 15%
आवश्यक प्रपत्र	- शिक्षा ऋण आवेदन । - अंक सूची । - प्रवेश का प्रमाण । - खर्च का ब्यौरा । - 2 पासपोर्ट साईज के फोटो । - पेन कार्ड विद्यार्थी व अभिभावक का । - ऋणी के बैंक खाते का विगत छः माह का विवरण । - विगत दो वर्ष के आयकर रिटर्नस् । - सम्पत्ति/दायित्व का संक्षिप्त विवरण । - आय का प्रमाण (तनखाह की पर्ची/फार्म नंबर 16 इत्यादि)	
आवेदन कहां करें	- संबंधित बैंक शाखा / कार्यालय	
अधिक जानकारी के लिये कहां मिले	- संबंधित बैंक शाखा/कार्यालय जिला शीर्ष मार्गदर्शी अधिकारी ।	

विशेष:- केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों को ब्याज पर समय-समय पर अनुदान को दिया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी संबंधित बैंक शाखा/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट:

1. यह योजना की सामान्य जानकारी है, विस्तृत जानकारी संबंधित बैंक शाखा/कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाए।
2. एज्युकेशन लोन संबंधी जानकारी वेबसाइट - www.searchschemes.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम शैक्षिक ऋण योजना

योजना की जानकारी -

एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिये ये योजनाएँ है। इसके अन्तर्गत 5 वर्ष की अवधि वाले तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद ऋण अदायगी की अवधि 5 वर्ष होगी। यह योजना राज्य के चेनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से होगी।

पात्रता -

- विद्यार्थी अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए।
- विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का होना चाहिए।

छात्रवृत्ति की दर -

- इस योजना में हर साल रुपये 50,000/- तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो अधिकतम रुपये 2.50 लाख तक हो सकता है।
- इस योजना के तहत राज्य के एजेंसियों के द्वारा 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पर्क :-

कार्यालय - कोर 1,

प्रथम तल, स्कोप मिनार, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली - 110092

फोन-011-22441442/44/52/53

फैक्स - 011 - 22441637/22441452/38

ई मेल - nmdfc@nmdfc.org

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009

मुख्य विशेषताएं

बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं-

- भारत के छः से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। (कक्षा 1ली से 8वीं तक)
- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
- ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बर्शते कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य : प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1956 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किया गया हो। उम्र प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

- एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात की सिफारिश।
- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण।
- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।
- स्कूल शिक्षक को पांच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा नौकरी चली जाएगी।
- स्कूल का बुनियादी ढांचा (जहां यह एक समस्या है) 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

अन्य गैर शासकीय छात्रवृत्ति योजना की जानकारी वेबसाइट www.searchschemes.com पर भी उपलब्ध है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

सूचना का अधिकार क्या है -

सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी लोक प्राधिकारी अथवा उसके नियंत्रणाधीन, किन्हीं भी दस्तावेजों/अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, इन अभिलेखों/दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति प्राप्त कर सकता है, जहाँ सूचना किसी कम्प्यूटर या अन्य युक्ति में भंडारित है, तो ऐसी सूचना को फ्लोपी/डिस्कट/टेप या वीडियो कैसेट के रूप में प्राप्त कर सकता है। साथ ही वीडियो कैसेट के रूप में अधिकार के तहत सामग्री के प्रामाणिक नमूने लेने का भी प्रावधान है।

सूचना किससे मांगी जा सकती है -

इस अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय कार्यालय से जानकारी मांगी जा सकती है। इसके साथ ही स्वायत्त शासन या निकाय या संस्था, जो संविधान के द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये विधि द्वारा या या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये विधि से या सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित है, से भी जानकारी मांगी जा सकती है। ऐसे अशासकीय संगठन, जिनका वार्षिक 'टर्नओवर' का पचास प्रतिशत या पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में या अन्यथा वित्तीय रूप से पोषित होने पर ऐसी संस्थाओं से भी सूचना मांगी जा सकती है।

सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क -

इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाये गये हैं, जो कि 10 नवंबर, 2005 के राजपत्र में भी प्रकाशित है। सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. आवेदन शुल्क | 10 रुपये |
| 2. प्रथम अपील शुल्क | 50 रुपये |
| 3. द्वितीय अपील शुल्क | 100 रुपये |
| 4. प्रमाणित प्रति शुल्क | 2 रुपये प्रति पृष्ठ (ए-3, ए-4 साइज पेपर हेतु) |

5. निरीक्षण शुल्क - प्रथम घंटा अथवा उससे कम समय के लिए 50 रूपये तथा उसके पश्चात 25 रूपये प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग के लिए।
6. फ्लापी या डिस्कट में 50 रूपये प्रति फ्लापी / डिस्कट जानकारी हेतु शुल्क
7. सत्यापित नमूना हेतु शुल्क जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।
उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जा सकता है।

गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान-

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को सत्यापित नमूने (उपरोक्त अनुक्रमांक-7 पर उल्लेखित) के शुल्क को छोड़कर अन्य सभी शुल्कों (अनुक्रमांक 1 से 6 तक उल्लेखित) से छूट प्राप्त है। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति सत्यापित नमूने को छोड़कर अन्य सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है एवं उसे आवेदन तथा अपील शुल्क से भी छूट प्राप्त है।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया -

राज्य शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किये हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को, जिस कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना हो, उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र में संपर्क पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये। आवेदन -पत्र के साथ निर्धारित शुल्क, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में अथवा संबंधित कार्यालय में नकद रूप से जमा किया जा सकता है यदि आवेदक अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता है अथवा, प्रमाणित नमूना चाहता है तो इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख आवेदन में किया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की लागत के संबंध आवेदक को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा सूचना की लागत नकद

रूप से संबंधित कार्यालय में अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किये जाने पर आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराना है, परन्तु राशि जमा करने की सूचना भेजने एवं आवेदक द्वारा राशि जमा करने तिथि के बीच की अवधि उक्त गणना में शामिल है।

जानकारी उपलब्ध न कराने पर दंड-

यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से इंकार किया जाता है, समय सीमा के अंदर सूचना नहीं दी जाती है या असद्भावनापूर्वक सूचना देने से इंकार किया जाता है या जान बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी दी जाती है या सूचना को नष्ट किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ कर सकता है। यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से सन्तुष्ट नहीं होता तो 90 दिन में वह माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के यहाँ द्वितीय अपील कर सकता है माननीय सूचना आयुक्त आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। यह दंड 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25000/- रुपये तक का हो सकता है। इसके साथ ही सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी के उपरोक्त कृत्यों के लिये सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को सिफारिश भी कर सकता है।

नोट:-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/परिपत्र तथा अन्य जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.mp.nic.in/gad पर 'Right to Information' लिंक पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-एक

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत
जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
.....
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने की दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं-नकल/निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किए जाने वाले प्रोसेस फी-रूपये 10 नकद/
स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं
दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हाँ/नहीं यदि हां
तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक।

हस्ताक्षर

आवेदन कर्ता

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन-पत्र पर 10 रूपये का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
 3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
- (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पद नाम (रबर सील)

म.प्र.सरकार व अन्य जनउपयोगी वेबसाइट्स

- जन-शिकायत निवारण समाधान आनलाइन <http://www.mpsamadhan.org>
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास <http://www.mpkrishi.org>
- विमानन विभाग मप्र शासन <http://www.mpaviation.inc.in/>
- जैव विविधता <http://www.mpbdandbt.nic.in/>
- उद्योग एवं रोजगार <http://www.mpindustry.org>
- वाणिज्यिक कर <http://www.mptax.net/>
- संस्कृति <http://www.mpculture.in/>
- ऊर्जा <http://www.mpenergy.nic.in/>
- मछलीपालन <http://mpfisheries.nic.in/>
- वन <http://www.mpforest.org/>
- आवास एवं पर्यावरण <http://www.mphed.nic.in/>
- जेल <http://www.jail.mp.gov.in/>
- नर्मदा विकास <http://www.nvda.nic.in/>
- स्वास्थ्य <http://www.health.mp.gov.in/>
- जनसम्पर्क <http://mpinfo.org/>
- स्कूल शिक्षा <http://www.sednmp.nic.in/>
- मप्र विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद <http://www.mpcost.nic.in/>
- खेल एवं युवक कल्याण <http://mpsportsandyw.nic.in/>
- तकनीकी शिक्षा <http://www.mptechedu.org>
- पर्यटन <http://www.mptourism.com/>
- परिवहन <http://mptransport.org>
- महिला एवं बाल विकास <http://mpwed.nic.in/>
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र <http://www.mp.nic.in/>

- आनलाइन एम्पलायमेंट एक्सचेंज <http://www.mprojgar.org>
- लाइली लक्ष्मी योजना <http://www.ladlilaxmi.com/>
- माध्यम <http://www.mpmadhyam.in>
- मध्यप्रदेश सडक विकास निगम <http://www.mprdc.nic.in>
- राजस्व <http://www.mprevenue.nic.in/>
- शहरी कल्चर <http://www.mpsericulture.nic.in>
- मप्र पाठ्य पुस्तक निगम <http://www.mptbc.nic.in>
- सुशासन एवं नीति विश्लेषण <http://www.sushasanmp.in/>
- मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी <http://mptransco.nic.in>
- मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण <http://www.mpslsa.nic.in/>
- मेपआइटी <http://www.mapit.gov.in>
- राजभवन <http://rajbhavanmp.ind.in/>
- मध्यप्रदेश इको टूरिज्म डेव्हलपमेंट <http://www.mpecotourism.org>
- राज्य वन विकास निगम <http://www.mpsfdc.com>
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय <http://www.mpphed.org/>
- चाइल्ड रिकार्ड इनफॉर्मेशन सिस्टम <http://cris.nic.in/>
- सरकारी मकान आवंटन से संबंधित <http://idemo.mp.nic.in/hams/>
- MPfacilitation centre for nri <http://www.mpnricentre.nic.in>
- MP Police <http://www.mppolice.gov.in>
- Mpreults <http://www.mpreults.nic.in>
- Ceomadhyapradesh <http://ceomadhyapradesh.nic.in>
- ग्रामोद्योग <http://www.weavesanderafts.com/>
- समाज कल्याण <http://socialjustice.mp.gov.in/default.htm>
- नगरीय प्रशासन एवं विकास <http://www.mp.gov.in/urban/default.htm>

- MPvidhansabha <http://www.mpvidhansabha.nic.in>
- Manav Sangrahalaya <http://www.igrms.com/igrms.html>
- राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश <http://www.boardofrevenue.mp.gov.in/>
- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन <http://tppid.mp.gov.in/default.htm>
- गृह <http://www.mp.gov.in/default.htm>
- सूचना प्रद्योगिकी <http://dit.mp.gov.in/default.htm>
- सामान्य प्रशासन विभाग <http://www.mp.gov.in/gad/default.htm>
- वित्त <http://www.mpgov.in/finance/index.htm>
- श्रम <http://www.mp.gov.in/labour/default1.htm>
- लोक निर्माण <http://www.mp.gov.in/pwdmp/default.htm>
- Right to information <http://www.mp.gov.in/services/right2info.asp>
- MPbhuabhilekh <http://www.mpbhuabhilekh.nic.in/index.htm>
- सहकारिता <http://cooperatives.mp.gov.in/default.htm>
- उच्च शिक्षा <http://www.mp.gov.in/highereducationmp/index.htm>
- चिकित्सा शिक्षा <http://www.mp.gov.in/medicaleducation/default.htm>
- खनिज साधन <http://www.mp.gov.in/mineralresources/index.htm>
- आदिम जाति-अनुसूचित जाति कल्याण <http://tribal.mp.gov.in/default.htm>
- मुख्यमंत्री मी मानवीय पहल आनलाइन मेमेन्टोस <http://www.ideaforcm.in/>
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास <http://www.mp.gov.in/mprural/mprural.html>
- संसदीय कार्य <http://www.mp.gov.in/parliamentaryafairs/default.htm>
- योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी <http://www.mp.gov.in/planning/default.htm>
- मुख्यमंत्री सहायता कोष
<http://www.mponline.gov.in/Portal/Services/CMRF/Index.Hi.html>
<http://www.mponline.gov.in/portal/services/CMRF/Auctionindex.Hi.html>

- भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास
<http://www.mp.gov.in/bgtrrdmp/default.htm>
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
<http://www.mp.gov.in/mpfood/default.htm>
- मध्यप्रदेश फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन
<http://mpfederation.org/website/index.html>
- राजस्व एवं धर्मस्व तथा धार्मिक न्यास
<http://www.mp.govin/religioustrust/default.htm>
- मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
<http://www.mpmkvvc.mpeprocurement.gov.in>
- शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने व नवीनीकरण से संबंधित
<http://www.mid.mp.nic.in/csm/>
- MPeprocurement System
<http://www.mpeprocurement.gov.in/home/index.asp>



उपरोक्त सभी योजनाओं की जानकारी वेबसाइट

www.searchschemes.com

पर भी उपलब्ध है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं।